[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (i)

Government of India

Ministry of Finance

Department of Economic Affairs

New Delhi, 29 September, 2017

NOTIFICATION

G.S.R.....(E).- In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificate Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Kisan Vikas Patra Rules, 2014, namely: -

1. (1) These rules may be called the Kisan Vikas Patra (Amendment) Rules, 2017.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Kisan Vikas Patra Rules, 2014,-

   (i) in rule 2, for clause (a), the following clauses shall be substituted, namely:-

   '(a) "Aadhaar number" means an identification number as defined in clause (a) of section 2 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016);

   (aa) "Act" means the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959);';

   (ii) after rule 6, the following rule shall be inserted, namely:-

   "(6A) **Identification of Account holders** - The Aadhaar number shall be the unique identifier for the purpose of establishing the identity of an account holder:

   Provided that where Aadhaar number has not been assigned, the depositor shall submit proof of application of enrolment for Aadhaar:

   Provided further that every depositor under this rule who has not given his Aadhaar number at the time of application for such deposit shall submit his Aadhaar number to the Post Office Savings Bank or Bank concerned, on or before the 31st day of December, 2017.".

[F. No. 1/3/2015-NS.II]

(Prashant Goyal)
Joint Secretary to the Government of India

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, extraordinary, part-II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 705 (E), dated the 23rd September, 2014 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 330 (E), dated the 21st March, 2016, G.S.R. 353(E), dated the 29th March, 2016, G.S.R. 945(E) dated the 30th September, 2016, G.S.R. 381(E), dated the 31st March, 2017 and G.S.R.862(E), dated the 30th June, 2017 .

*****

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड-(i) में प्रकाशनार्थ]

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितंबर, 2017

सा.का.नि. (अ) - केंद्रीय सरकार सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसान विकास पत्र नियम, 2014 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इस नियम का संक्षित नाम किसान विकास पत्र (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. किसान विकास पत्र नियम, 2014 में,

(i) नियम 2 में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात:-
"(क) 'आधार संख्या' से आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 2 के खंड (क) में यथा परिभाषित पहचान संख्या अभिप्रेत है।
(कक) 'अधिनियम' से सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम 1959 (1959 का 46) अभिप्रेत है।

(ii) नियम 6 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा; अर्थात:-

"(6क) खाता धारक की पहचान - यह आधार संख्या खाता धारक की पहचान सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ विशिष्ट पहचान होगी।

परंतु जहां आधार संख्या नहीं दी गई है, जमाकर्ता आधार के लिए नामांकन के आवेदन का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

परंतु और यह भी कि इस नियम के अधीन प्रत्येक जमाकर्ता को जिसने ऐसे जमा के लिए आवेदन करते समय अपनी आधार संख्या नहीं दी है, को 31 दिसंबर, 2017 को या उससे पहले संबंधित डाकघर बचत बैंक या बैंक में अपनी आधार संख्या प्रस्तुत करनी होगी।"

[फा.सं. 1/3/2015-एनएस-II]

(प्रशांत गोयल)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी: मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 705(अ) दिनांक 23 सितंबर, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड 3, उप-खंड (I) में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात इसे अधिसूचना सं. सा.का.नि. 330(अ), तारीख 21 मार्च, 2016, सा.का.नि. 353(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 सा.का.नि. 945(अ), तारीख 30 सितंबर, 2016, सा.का.नि. 381(अ), तारीख 31 मार्च, 2017 और सा.का.नि. 862(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा संशोधित किए गए थे।